| नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |

6/11/19 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है/~~अन्य कार्यों में व्यस्त है/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/11/19 को पेश हो।

रीडर

27/11/19 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर है/अन्य~~ ~~कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/12/19 को पेश हो।

रीडर

17/12/19 वकील उभयपक्ष उप०। पुनः बहस सुनी गई। दावा वादीगण डिक्री किया जाकर राजीनामा अनुसार वादग्रस्त भूमि ख० नं० $\frac{2410}{1.40}$ है० ग्राम उदेईकलां अ में से 9 स्क्वायर भूमि (उत्तर दिशा की ओर) का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादीगण के नाम से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 555/2008 | 9.5.2008 | 17-12-2019 |

1. रामसहाय पुत्र हीरा, खारवाल नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1 जीतराम पुत्र रामसहाय, खारवाल नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
1/2 कैलाश पुत्र रामसहाय, खारवाल नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
——वादीगण

बनाम

1. श्रीमती घीसी बेबा कुंवरपाल,खारवाल नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर (मृतक)
1/1 मु. रूकमणी पुत्री कुंवरपाल पत्नी सुबुद्धी, खारवाल, नि0 जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
1/2 मु. प्रेम पुत्री कुंवरपाल पत्नी गिर्राज, खारवाल, नि0 जियापुर तह0 गंगापुर सिटी
1/3 मु. फूली पुत्री कुंवरपाल पत्नी बच्चूसिंह, खारवाल, नि0 कमालपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. छोटया पुत्र स्व. कुंवरपाल, खारवाल नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री शिवचरण शर्मा , एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि एकीकरण से पूर्व के ख0न0 294 रकबा 9 विस्वा, ख0न0 295 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 748 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, ख0न0 449 रकबा 2 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा स्थित ग्राम उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी वादी के पिता हीरा बल्द बुधा खारवाल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी रही है। जिसके एकीकरण मे नवीन ख0न0 161 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा व ख0न0 365 रकबा 6 बीघा बनाये गये लेकिन एकीकरण मे उक्त नवीन खसरा नम्बर वादी की पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वादी के बडे भाई कुंवरपाल के नाम अकेले एक नाम से खातेदारी मे दर्ज कर दिया गया जबकि कब्जा काश्त वादी एवं वादी के भाई कुंवरपाल दोनो का संयुक्त रूप से रहा है। इसके बाद हाल बन्दोबस्त मे उक्त पुश्तैनी आराजी ख0न0 161 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा के नवीन ख0न0 2410 रकबा 1.40 है0, ख0न0 2411 रकबा 0.45 है0, ख0न0 2412 रकबा 0.58 है0 कायम किये गये तथा एकीकरण के ख0न0 365 के हॉल बन्दोबस्त मे नवीन ख0न0 1726 रकबा 0.80 है0 व 1726/6418 रकबा 0.80 है0 कायम किये गये। उक्त आराजीयात को वादी व वादी के भाई कुंवरपाल ने अपने जीवनकाल मे ही बराबर बराबर बांट लिया था और मोके पर दोनो का उक्त आराजीयात के

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

बराबर बराबर हिस्से पर कब्जा काश्त रहा है। हॉल बंदोबस्त मे एकीकरण के खा0न0 365 के जो नवीन नम्बर 1726 व 1726/6418 बनाये गये उनमे से हॉल बन्दोबस्त मे ख0न0 1726 रकबा 0.80 है0 तो कुंवरपाल के नाम खातेदारी मे लगा दिया गया तथा 1726/6418 रकबा 0.80 है0 वादी के नाम खातेदारी मे लगा दिया। इस तरह साबिक ख0न0 365 का तो बराबर बराबर रकबा वादी एवं वादी के भाई कुंवरपाल के नाम हॉल बंदोबस्त मे लगाया है। लेकिन साबिक ख0न0 161 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा के जो हॉल बन्दोबस्त मे नवीन नम्बर कायम किये है उसमे गलत प्रकार से ख0न0 2410 रकबा 1.40 है0 तो वादी के भाई कुंवरपाल के नाम लगा दिया है और केवल ख0न0 2411 रकबा 0.45 है0 व 2412 रकबा 0.58 है0, इस तरह साबिक ख0न0 161 का 1.03 है0 रकबा ही हाल बंदोबस्त मे वादी के नाम खातेदारी मे दर्ज किया है जबकि वादी के भाई कुवरपाल के नाम इस नम्बर का 37 एयर रकबा ज्यादा लगा दिया गया है। साबिक ख0न0 161 के कुल रकबे मे से वादी व वादी के भाई कुंवरपाल के नाम बराबर बराबर रकबा दर्ज किया जाना चाहिए था। इस तरह वादी के भाई कुंवरपाल के नाम करीब 18 एयर रकबा अधिक खातेदारी मे लगा दिया है। वादी के भाई कुवरपाल की करीब 9–10 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। वादी के भाई कुवरपाल के हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज है। स्वर्गीय हीरालाल के दो पुत्र कुंवरपाल एवं रामसहाय थे। कुंवरपाल की मृत्यु हो चुकी है। उसकी पत्नी धापी व पुत्र छोटया उसके वारिस है। उक्त आराजीयात को वादी के पिता के साथ पिता के जमाने से ही वादी व वादी का भाई कुंवरपाल शामिल रूप से काश्त करते रहे है। वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी व वादी का भाई कुवरपाल काश्त करते रहे है। बाद मे वादी का भाई कुंवरपाल ने मौके पर उक्त आराजीयात को बराबर बराबर बांट लिया और इसी अनुसार काश्त करते रहे है। तथा कुंवरपाल की मृत्यु के बाद कुंवरपाल के हिस्से को प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है। इस तरह उक्त कुल आराजीयात मे वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा रहा है। वादी दिनांक 9.1.08 को जब अपने खाते की नकल निकलवाने के लिए तहसील गंगापुर सिटी गया और खाते की नकल निकलवाई तो वादी को यह जानकारी हुई कि उक्त कुल आराजीयात मे से वादी के खाते मे 1.83 है0 जमीन ही लगी हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खाते मे 2.20 है0 जमीन लगी हुई है। जबकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से मे बराबर बराबर जमीन आनी चाहिए थी। वादी के खाते मे 0.18 है0 जमीन कम लगी हुई है जो रकबा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खाते मे राजस्व विभाग के कर्मचारियो की गलती से अधिक लगा दी गई है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कहा कि आप मेरे साथ चलकर इस बाबत लिखकर दो तो प्रतिवादी ने यह कहकर टालते रहे कि कभी भी चलकर दुरुस्ती करा लेगे। लेकिन दिनांक 22.4.08 को प्रतिवादीगण ने मना कर

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

दिया तथा कहा कि इस जमीन को हम शीघ्र ही दूसरे व्यक्तियो को बेच देगें जबकि वादी का उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर मौके पर कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है। लेकिन अब प्रतिवादी न0 1 व 2 की नीयत मे बेईमानी आ गई है। इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 के मध्य आज तक विधिवत विभाजन नही हुआ है। केवल मौखिक विभाजन हुआ है और मौखिक विभाजन के अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात का काश्त करते चले आ रहे है। इस कारण यह विभाजन का दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खाते मे 0.18 है0 जमीन अधिक लगा देने के कारण प्रतिवादीगण के मन मे बदनियती आ गई है और उक्त आराजीयात को दूसरो को क्रय करने पर उतारू है। इस कारण उन्होनें दीगर व्यक्तियो से भी बात कर ली हैं तथा लठ्ठ के बल पर वादी को वादी के हिस्से की आराजीयात से बेदखल कर देना चाहते है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त आराजीयात मे वादी का उक्त प्रकार 1/2 हिस्सा है और प्रतिवादी न0 1 व 2 का भी 1/2 हिस्सा ही है और अपने अपने हिस्से के रकबे को ही पक्षकारान काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर भी आज भी उसी अनुसार कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है। इस कारण हॉल ख0न0 2410 का वेशी रकबा 0.18 है0 जो गलत प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम लग गया है का वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। तथा ख.न. 2410 मे से वेशी रकबा 18 एयर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी मे से कम किया जाकर वादी की खातेदारी मे दर्ज किये जाने योग्य है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर हॉल ख0न0 2410 रकबा 1.40 है0 ग्राम उदेईकला मे से रकबा 18 एयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा उक्त 18 एयर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी मे से कम किया जाकर वादी के नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावें। वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ख0न0 1726 रकबा 0.80 है0, ख0न0 1726/6418 रकबा 0.80 है0, ख0न0 2410 रकबा 1.40 है0, ख0न0 2411 रकबा 0.45 है0 व ख0न0 2412 रकबा 0.58 है0 का वादी एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 के मध्य बराबर बराबर विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से की खातेदारी अलग से वादी के नाम दिये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजीयात ख0न0 2410 रकबा 1.40 है0 स्थित ग्राम उदेईकलॉ की आराजी को किसी प्रकार रहन वय या मुन्तकिल नही करे तथा उक्त आराजी मे वादी के 18 एयर के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही किसी अन्य से करावें तथा मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखें तथा प्रतिवादी संख्या 3 को भी आराजी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

खसरा 2410 ग्राम उदेईकलॉ के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के लिए पाबंद करवाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुआ। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि भूमि का मौके पर विभाजन कर लया गया है और वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से को काश्त करते रहे है। भूमि का विभाजन सरस व नरस के आधार पर किया गया है। भूमि का विभाजन सरस व नरस के आधार पर किये जाने के कारण कुछ भूमि प्रतिवादीगण के पति व पिता कंवरपाल के हिस्से मे अधिक आई परन्तु भूमि की किस्म के कारण यह अंतर रहा है। विभाजन आपसी पारिवारिक मौखिक समझौते के आधार पर ही किया गया था। भूमि एकीकरण के समय भी आपसी सहमति से ही भूमि के पर्चे अलग अलग बने और उन पर्चो के मुताबिक ही जमाबंदी बनी और उसी मुताबिक नम्बरों पर वादी एवं प्रतिवादीगण आज तक अलग अलग काबिज चले आ रहे है। खसरा 2410 सही प्रकार से आपसी सहमति से वादी के भाई कंवरपाल के नाम लगा है क्योकि इस हिस्से पर हॉल बदोबस्त से पूर्व ही कंवरपाल अलग से काश्त करता चला आ रहा था। हॉल बदोबस्त हुए भी करीब 30 वर्ष का समय गुजर चुका है और उसेस पूर्व से ही ख0न0 161 के उस भाग पर जिससे की हॉल ख0न0 2410 रकबा 1.40 है0 बना है, कंवरपाल काश्त करता चला आ रहा था। उस स्थान की अलग से ही डौल मेड बनी हुई थी और उसी मुताबिक सेटिलमेन्ट ने ख0न0 2410 कंवरपाल की तथा ख0न0 2411 रकबा 45 एयर व 2412 रकबा 58 एयर भूमि वादी रामसहाय के नाम दर्ज की। तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सों पर हॉल बंदोबस्त से पूर्व से ही काश्त करते चले आ रहे है। वादी का शुरू से ही इन इन्द्राजात का पता है। इन्द्राजात आज से 30 वर्ष पूर्व ही कर दिये गये थे। अलग अलग लगान जमा होता चला आ रहा था। अलग अलग काश्त हो रही थी फिर अचानक भूमि के काजगात दिनांक 9.1.08 को लेने का क्या कारण उत्पन्न हुआ। जमीनो की कीमते बढने से वादी के मन मे बेईमानी आ गई है जबकि होना यह चाहिए था कि भाई कंवरपाल के मरने के बाद उसकी बेवा व लडके की, वादी परवरिश करता, यह न कर उन्हे गलत मुकदमे बाजी मे फसा दिया है। ख.न. 2410 रकबा 1.40 है0 मे वादी का कोई हिस्सा व कब्जा काश्त नही है। वादी कोई घोषणा खातेदारी इस खसरा0 के बाबत प्राप्त करने का अधिकारी नही है। आज से करीब 44 वर्ष पूर्व मौके पर विभाजन हो जाने, अलग अलग काश्त करने तथा उसके पश्चात भू प्रबन्ध विभाग के कागजात मे दोनो भाईयो कंवरपाल व रामसहाय के नाम अलग अलग खाते बनकर इन्द्राज हो जाने, अलग अलग लगान हो जाने के बाद अब पुनः विभाजन किया जाना न तो आवश्यक है और न

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

तार्किक और न ही वैधानिक है। इस कारण दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा दावे मे बताये गये खसरा नम्बरो मे से कुछ भूमि का विक्रय जमीला बानो पत्नी इकबाल मुसलमान, जयबाई बेबा रेवडया को हो चुका है जिसके नामान्तकरण खुल चुके है। जिनके बाबत राजस्व कागजात वादी ने स्वयं ने माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किये है। उन ट्रान्फरीज को पक्षकार नही बनाया गया है। इसलिए उन्हे आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नही बनाया है। इसलिए नॉन जाइन्डर आफ पार्टीज की त्रुटि के कारण दावा चलने योग्य नही है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि दावा वादी व्यय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वादपत्र के साथ वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2009 प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण प्रदर्श 2, नकल मिलान क्षेत्रफल बंदोवस्त विभाग प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी संवत 2061–2064 प्रदर्श 4, प्रदर्श 5 प्रस्तुत की है एवं बयान वादी जीतराम दर्ज कराये है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने दिनांक 4.10.2019 को हाजिर अदालत संयुक्त राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। इस राजीनामे मे पक्षकारो ने अंकित किया है कि भूमि ख0न0 2410 रकबा 1.40 है0 स्थित ग्राम उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी मे से 0.09 है0 भूमि उत्तर दिशा की ओर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए वादीगण की खातेदारी मे दर्ज कर दिया जावे तथा उक्त 0.09 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे से कम कर दी जावे। इस 9 एयर भूमि के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, वादी को कोई बाधा उत्पन्न नही करेगें। मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री कर दिया जावें।

प्रकरण मे बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने राजीनामे के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2009 प्रदर्श 1 के अनुसार हीरा वल्द बुधा कौम खारवाल के नाम भूमि ख0न0 294 रकबा 9 बिस्वा, ख0न0 295 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 748 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, ख0न0 749 रकबा 2 बीघा दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण प्रदर्श 2 के अनुसार ख0न0 294, 295, 296, 650, 6435/3 से ख0न0 365 रकबा 6 बीघा, ख0न0 748, 749 से ख0न0 161 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा बनाया गया है। नकल जमाबंदी संवत 2019 भूमि एकीकरण के अनुसार ख0न0 161 एवं ख0न0 365 कुंदरपाल बल्द हीरा खारवाल की खातेदारी मे दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 बंदोवस्त विभाग के अनुसार साबिक ख0न0 161 एवं 365 से नवीन ख0न0 2410, 2411, 1726, 1726/6418 बनाये गये है। नकल जमाबंदी संवत 2061–64 प्रदर्श 4 के अनुसार ख.न. 2411, 2412, 1726/6418 की खातेदारी रामसहाय पुत्र हीरा खारवाल के नाम एवं ख0न0

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

1726 व 2410 की खातेदारी छोट्या पुत्र कुंवरपाल, घीसी बेबा कुंवरपाल के नाम दर्ज है। इस जमाबंदी मे अंकित नोट के अनुसार ख0न0 1726 की खातेदारी जयबाई बेवा रेवडया खारवाल के नाम दर्ज है। इस अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य समान रूप से अंकन नही हुआ है। राजीनामे के अनुसार ख0न0 2410 ग्राम उदेईकलॉ के उत्तर के ओर की 9 एयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम से कम की जाकर वादी के नाम दर्ज की जानी है जो रिकार्ड के अनुसार उचित है। राजीनामे के अनुसार वादी का दावा डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद वरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख0न0 2410 रकबा 1.40 है0 ग्राम उदेईकलॉ अ मे से 9 एयर भूमि (उत्तर दिशा की ओर) का वादीगण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादीगण के नाम से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी मे दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल बाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 17-2-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( विजेन्द्र कुमार मीना )
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई **Judi/Civil**

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) **Part IV-10**

**(Civil Proceede Code, Appendix D-1)**

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. रामसहाय पुत्र हीरा, खारवाल नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)

1/1 जीतराम पुत्र रामसहाय, खारवाल नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी

1/2 कैलाश पुत्र रामसहाय, खारवाल नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी

––वादीगण

बनाम

1. श्रीमती घीसी बेबा कुंवरपाल,खारवाल नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर (मृतक)

1/1 मु. रूकमणी पुत्री कुंवरपाल पत्नी सुबुद्धी, खारवाल, नि0 जियापुर तह0 गंगापुर सिटी

1/2 मु. प्रेम पुत्री कुंवरपाल पत्नी गिर्राज, खारवाल, नि0 जियापुर तह0 गंगापुर सिटी

1/3 मु. फूली पुत्री कुंवरपाल पत्नी बच्चूसिंह, खारवाल, नि0 कमालपुर तह0 गंगापुर सिटी

2. छोटया पुत्र स्व. कुंवरपाल, खारवाल नि0 उदेईकलॉ तह0 गंगापुर

3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –55/2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शिवचरण शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद वरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख0न0 2410 रकबा 1.40 है0 ग्राम उदेईकलॉ अ मे से 9 एयर भूमि (उत्तर दिशा की ओर) का वादीगण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादीगण के नाम से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी मे दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-12-2019 को जारी किया गया ।

( विजेन्द्र कुमार मीना )
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दायलह | रूपया | पै |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक<br>मीजान | | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प पर्ची<br>महनतानावकील पर<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक<br>मीजान | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.01.15 11:25:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: